


अनुभव-प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गैर सरकारी संस्था "झारखण्ड सामुदायिक उत्थान परिषद्, प्रधान कार्यालय- टाऊन धाना रोड, दुमका" ने वित्तीय वर्ष 2007-08 में आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक 271 दिनांक 20-02-07 द्वारा दुमका जिला में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1939 एवं नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के प्रचार-प्रसार का कार्य किया है।

इस संस्था का कार्य संतोषप्रद है एवं मैं इस संस्था के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।


उप-निदेशक

आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय
झारखण्ड सरकार, राँची।



झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

जिला स्तरीय कार्यालय : दुमका

खुड्डाबौध, दुमका - 814101, झारखण्ड



संघीय संस्था

Fax : (08434) 298271

Phone : (08434) 222088

Mobile : 9234083706

E-mail : jpskdumka@gmail.com


पत्रांक :


दिनांक : 13-07-09

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गैर सरकारी संस्था "झारखण्ड सामुदायिक उत्थान परिषद्" धाना रोड, दुमका ने वित्तीय वर्ष 2008-09 में राष्ट्रीय बालिका प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम अंतर्गत दुमका जिला के रामगढ़ प्रखण्ड के 32 संकुलों में निदानात्मक शिक्षण एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण का कार्य किया है।

मैं इस संस्था की उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।


जिला जेण्डर समन्वयक,
झारखण्ड शिक्षा परियोजना, दुमका


जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, दुमका

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी का कार्यालय
दुमका

अनुभव प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गैर सरकारी संस्था झारखण्ड सामुदायिक उत्थान परिषद, टाऊन बाना रोड, दुमका ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में दुमका जिला के रामगढ़ प्रखण्ड में छठी वार्षिक जनगणना का कार्य किया है। इस संस्था का कार्य सन्तोषप्रद है।

मैं इस संस्था के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।


10/5/14.


जिला सांख्यिकी पदाधिकारी
दुमका

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का कार्यालय

प्रखण्ड-दुमका

पत्रांक :


दिनांक: 04-03-14

अनुभव प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गैर सरकार संस्था "झारखण्ड सामुदायिक उत्थान परिषद्, दाना रोड, दुमका" ने स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) अन्तर्गत दुमका प्रखण्ड में वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-2013 तक महिला स्वयं सहायता समूह निर्माण एवं सशक्तिकरण का त्तराहनीय कार्य किया है।

मैं इस संस्था की उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।


प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
प्रखण्ड - दुमका


प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
प्रखण्ड-दुमका

उप-श्रमायुक्त का कार्यालय
संयुक्त श्रम भवन, श्री अमड़ा, दुमका

अनुभव प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गैर सरकारी संस्था झारखण्ड सामुदायिक उत्थान परिषद, टाऊन थाना रोड, दुमका ने श्रमिक रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में दुमका जिला के दुमका सदर प्रखण्ड में (कम्प्यूटर एवं सिलाई-कटाई) एवं दुमका जिला के रामगढ़ प्रखण्ड में (सिलाई-कटाई) व्ययसायिक प्रशिक्षण का कार्य किया है।

इस संस्था का कार्य सन्तोषप्रद है

मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।


श्रम अधीक्षक
दुमका
श्रम अधीक्षक
दुमका।

उप श्रमायुक्त का कार्यालय

संयुक्त श्रम भवन, श्री अमड़ा, दुमका

दिनांक-16-08-2016


अनुभव प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गैर सरकारी संस्था "झारखण्ड सामुदायिक उत्थान परिषद्, प्रधान एवं निबंधित कार्यालय- टाऊन थाना रोड, दुमका, झारखण्ड" ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस कार्यालय के पत्रांक- 68/BOCW, दिनांक- 10-07-2015 द्वारा 63, पत्रांक-132/BOCW, दिनांक-20-11-2015 द्वारा 70 एवं पत्रांक- 30/BOCW, दिनांक- 20-02-2016 द्वारा 60 दुमका जिला के निबंधित लाभुकों (श्रमिकों) को "श्रमिक रोजगार प्रशिक्षण योजना" अन्तर्गत MES CODE GAR501(HAND EMBROIDERY) का 520 घंटे का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दिया।

इसके साथ ही इस कार्यालय के पत्रांक- 06-10-2015 द्वारा दुमका जिला के शिकारीपाड़ा एवं रानेश्वर प्रखण्ड के 71 निबंधित लाभुकों (श्रमिकों) को "सिलाई-कटई सहायता योजना" अन्तर्गत 100 घंटे का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दिया।

इस संस्था का कार्य सराहनीय एवं संतोषप्रद है।

मैं इस संस्था के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।



(हेमकृष्ण दास)

श्रम अधीक्षक

दुमका।

समाहरणालय, दुमका

कल्याण शाखा

पत्रांक 814 / जि०क० दुमका / दिनांक 22-10-29

प्रेषक :-

उपायुक्त
दुमका।

सेवा में,

आदिवासी कल्याण आयुक्त
झारखंड सरकार, राँची।

विषय :-

गैर सरकारी संस्था झारखण्ड सामुदायिक उत्थान परिषद्, दुमका द्वारा ओ०बी०सी० जाति के छात्रों के कल्याणार्थ व्षसायिक प्रशिक्षण का योजना प्रस्ताव प्रेषण के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि गैर सरकारी संस्था झारखण्ड सामुदायिक उत्थान परिषद्, दुमका द्वारा ओ०बी०सी० जाति के छात्रों को व्षसायिक प्रशिक्षण हेतु अपना योजना प्रस्ताव तैयार कर समर्पित किया है। यह संस्था वर्ष 2004-08 तक लगातार दुमका जिला में कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे योजनान्तर्गत दुमका जिला के युवक/युवतियों को विभिन्न प्रकार का व्षसायिक प्रशिक्षण दिया है। इस संस्था का कार्य संतोषप्रद है।

अतः संस्था द्वारा समर्पित योजना प्रस्ताव अनुशंसा के साथ अग्रसारित किया जाता है।

विश्वासभाजन

उपायुक्त

दुमका।

उप श्रमायुक्त का कार्यालय, संताल परगना प्रमण्डल, दुमका
(स्थित :- संयुक्त श्रम भवन, श्री अमड़ा, दुमका)

प्रेषक :-

श्रम अधीक्षक - सह - निबंधनपत्रा०, 1996
दुमका।

सेवा में,

सचिव,
झारखण्ड सामुदायिक उत्थान परिषद,
थाना रोड, दुमका।

दिनांक :-

दुमका, दिनांक 06-01-2014

रोजगार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत भवन एवं सुनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत
निर्बंधित कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में।

आशय,

उपर्युक्त विषय में संबंधित दुमका जिलान्तर्गत भवन एवं सुनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा अंत विनियम) अधिनियम 1996 के अधीन निर्बंधित श्रमिक जो रोजगार प्रशिक्षण के तहत सिलाई-कटाई प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक (उम्र 35 से कम है) श्रम प्रवर्तन प्रदायिका, दुमका सहर के पत्रांक 08, दिनांक 02.01.2014 के आलोक में सूची भेजते हुए अनुरोध है कि निधमापुस्तक कामगारों को प्रशिक्षण देने हेतु अग्रतः कार्यवाई करने का कष्ट किया जाय।

क्रमिक	प्रशिक्षणार्थी का नाम	कामगार का नाम	निबंधन सं०	पता	वैयक्तिक योग्यता	कोर्स सं०
1	गणेश जीवी L	जयदेवी जीवी ✓	DMK/SDR/513	गणेशजीवी दुमका	साधार	GR105
2	ताना जीवी	त.श. जीवी	DMK/SDR/520	गणेशजीवी दुमका	साधार	GR105
3	साधुजी जीवी D	साधुजी जीवी D	DMK/SDR/432	गणेशजीवी दुमका	साधार	GR105
4	सुरजत प्रवीण	सुरजत प्रवीण D	DMK/SDR/329	दुमका दुमका	साधार	GR105
5	रुखसार साधुजी	रुखसार साधुजी D	DMK/SDR/554	गणेशजीवी दुमका	साधार ✓	GR105
6	बीबी मुख्तार	बीबी मुख्तार	DMK/SDR/557	गणेशजीवी दुमका	साधार	GR105
7	प्रमिता देवी	प्रमिता देवी D	DMK/SDR/289	गणेशजीवी दुमका	साधार	GR105
8	बीबीमणी बेरार	बीबीमणी बेरार	DMK/SDR/0039	गणेशजीवी दुमका	साधार	GR105
9	बीबी पाकिजा	बीबी पाकिजा D	DMK/SDR/0076	गणेशजीवी दुमका	साधार	GR105
10	सुनी जीवी	सुनी जीवी D	DMK/SDR/0083	गणेशजीवी दुमका	साधार	GR105
11	रुखसार बीवी	रुखसार बीवी D	DMK/SDR/287	गणेशजीवी दुमका	साधार	GR105
12	सबी सोहन	सबी सोहन L	DMK/SDR/538	गणेशजीवी दुमका	साधार	GR105
13	तमना साधुजी	तमना साधुजी D	DMK/SDR/0077	गणेशजीवी दुमका	साधार	GR105
14	मजाला बीबी	मजाला बीबी L	DMK/SDR/553	गणेशजीवी दुमका	साधार	GR105
15	सुरजत बीबी	सुरजत बीबी L	DMK/SDR/566	गणेशजीवी दुमका	साधार	GR105
16	बीबी सुनी	बीबी सुनी L	DMK/SDR/347	गणेशजीवी दुमका	साधार	GR105
17	सुनी जीवी	सुनी जीवी L	DMK/SDR/541	गणेशजीवी दुमका	साधार	GR105
18	सोहन बीबी	सोहन बीबी L	DMK/SDR/540	गणेशजीवी दुमका	साधार	GR105
19	सुनी जीवी	सुनी जीवी L	DMK/SDR/474	गणेशजीवी दुमका	साधार	GR105

ABSENT

06/1/14
श्री अ.प.स.स.
दुमका।

पत्रांक.....

(स्थित :- संयुक्त श्रम भवन, श्री अमड़ा, दुमका)

प्रेषक :-

श्रम अधीक्षक सह-निबंधन पदा० (भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम 1998 दुमका।

सेवा में,

सचिव,
झारखण्ड सामुदायिक कल्याण परिषद,
धाना रोड, दुमका।

दुमका, दिनांक 24/01/2014

विषय :-

रोजगार प्रशिक्षण के अन्तर्गत भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत निर्बंधित लाभुकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित दुमका जिलान्तर्गत भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनि०) अधि० 1998 के अधीन निर्बंधित व्यक्ति जो रोजगार प्रशिक्षण के तहत सिलाई-कटाई प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक (उम्र 35 वर्ष तक) हैं, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक 13 दिनांक 18-01-2014 के आलोक में मूल प्रति एवं कार्ड की छाया प्रति के साथ सूची भेजते हुए अनुरोध है कि नियमानुसार लाभुकों को प्रशिक्षण देने हेतु ज़रूरी कार्रवाई करने का कष्ट किया जाय।

क्रमांक	प्रशिक्षणार्थी का नाम	लाभुकों का नाम	निबंधन सं०	पता	शैक्षणिक योग्यता	कोर्स कोड
1.	सुनिता देवी	सुनिता देवी	DMK/RMG0074	अमड़ापहाड़ी	साक्षर	GAR105
2.	सरिता देवी	सरिता देवी	DMK/RMG315	अमड़ा, अमड़ापहाड़ी	साक्षर	GAR105
3.	मुन्नी देवी	मुन्नी देवी	DMK/RMG0080	..	साक्षर	GAR105
4.	सुलेखा देवी	सुलेखा देवी	DMK/RMG0081	..	साक्षर	GAR105
5.	कविता देवी	कविता देवी	DMK/RMG0040	अमड़ापहाड़ी, अमड़ापहाड़ी	साक्षर	GAR105
6.	मुन्नी देवी	मुन्नी देवी	DMK/RMG384	आंझर, कासडीह, रामगढ़	साक्षर	GAR105
7.	मीना देवी	मीना देवी	DMK/RMG0155	जगतपुर, कासडीह	साक्षर	GAR103
8.	शोभा देवी	शोभा देवी	DMK/RMG130	..	साक्षर	GAR105
9.	सीमा हांसदा	सीमा हांसदा	DMK/RMG340	फिटकोरिवा, गतुड़िया-बी	साक्षर	GAR105
10.	सोनी देवी	सोनी देवी	DMK/RMG312	कुर्पी, अमड़ापहाड़ी	साक्षर	GAR105
11.	सलोनी मरांडी	सलोनी मरांडी	DMK/RMG0056	नवाडीह, कासडीह	साक्षर	GAR105
12.	तालाचय मुर्मू	तालाचय मुर्मू	DMK/RMG0050	..	साक्षर	GAR105
13.	तालाको मुर्मू	तालाको मुर्मू	DMK/RMG0049	..	साक्षर	GAR105
14.	इन्दु देवी	इन्दु देवी	DMK/RMG00168	पंचुआदीकर, पथरिया	साक्षर	GAR105
15.	चुड़की मरांडी	चुड़की मरांडी	DMK/RMG0051	नवाडीह, कासडीह	साक्षर	GAR105

(Handwritten signature)

(Handwritten signature and date)
24/1/14

उप श्रमायुक्त का कार्यालय, बंगाल परगना प्रमण्डल, दुमका
(स्थित :- संयुक्त श्रम भवन, श्री अमड़ा, दुमका)

प्रपत्र :-

श्रम अधीक्षक - सह - निबंधन पदा, (भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम 1998)
दुमका ।

सीता में,

सचिव,
प्राथमिक सामुदायिक उत्थान परिषद,
धाना रोड, दुमका ।

विषय :-

रोजगार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत भवन एवं संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत निबंधित श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में ।

दुमका, दिनांक 24/01/2014

महोदय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित दुमका जिलान्तर्गत भवन एवं संनिर्माण कर्मकार (निधोजन एवं सेवा शर्त निर्दिष्ट) अधिनियम 1998 के अर्धीन निबंधित श्रमिक को रोजगार प्रशिक्षण के शर्त निर्धारित-कर्मार्थ प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक श्रमिकों का नाम है, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, दुमका शहर के पत्रांक 12 दिनांक 18.01.2014 के आलोक में आवेदन की मूल प्रति एवं आई की छायाप्रति के साथ सूची भेजेत हुए अनुरोध है कि नियमानुसार श्रमिकों को प्रशिक्षण देने हेतु अग्रतर कार्रवाई करने का कृपया किया जाय ।

(दीर्घ)

क्रमांक	प्रशिक्षणार्थी का नाम	श्रमिक का नाम	निबंधन नं०	पता	उम्र	व्यवसायिक योग्यता	जोड़ सं०
1	अलिता देवी ✓	अलिता देवी ✓	DMK/SDR/0565	भदरपुर, दुमका	22	साधारण	GR105
2	राजला बीबी ✓	राजला बीबी ✓	DMK/SDR/311	"	54	साधारण	GR105
3	आसमा बीबी ✓	आसमा बीबी ✓	DMK/SDR/314	"	48	साधारण	GR105
4	शुभरी देवी ✓	शुभरी देवी ✓	DMK/SDR/611	"	43	साधारण	GR105
5	पुनकुमारी देवी ✓	पुनकुमारी देवी ✓	DMK/SDR/563	भदरपुर, दुमका	50	साधारण	GR105
6	आशा देवी ✓	आशा देवी ✓	DMK/SDR/566	भदरपुर, दुमका	36	साधारण	GR105
7	पार्वती देवी ✓	पार्वती देवी ✓	DMK/SDR/0566	"	36	साधारण	GR105
8	प्रतिमा देवी ✓	प्रतिमा देवी ✓	DMK/SDR/0567	भदरपुर, दुमका	48	साधारण	GR105
9	सुमति देवी D	सुमति देवी D	DMK/SDR/441	भदरपुर, दुमका	21	साधारण	GR105
10	दीप्ती देवी ✓	दीप्ती देवी ✓	DMK/SDR/196	भदरपुर, दुमका	30	साधारण	GR105
11	सुमति देवी D	सुमति देवी D	DMK/SDR/0459	भदरपुर, दुमका	26	साधारण	GR105
12	विजया देवी D	विजया देवी D	DMK/SDR/6388	भदरपुर, दुमका	38	साधारण	GR105
13	सुन्दरी देवी D	सुन्दरी देवी D	DMK/SDR/307	भदरपुर, दुमका	40	साधारण	GR105
14	सुलतान बेगम D	सुलतान बेगम D	DMK/SDR/0495	भदरपुर, दुमका	35	साधारण	GR105
15	पार्वती देवी D	पार्वती देवी ✓	DMK/SDR/0047	भदरपुर, दुमका	33	साधारण	GR105
16	मेखला देवी D	मेखला देवी ✓	DMK/SDR/582	भदरपुर, दुमका	45	साधारण	GR105
17	सोनी देवी D	सोनी देवी ✓	DMK/SDR/184	भदरपुर, दुमका	21	साधारण	GR105
18	सुनी देवी D	सुनी देवी ✓	DMK/SDR/396	भदरपुर, दुमका	28	साधारण	GR105
19	सुनी देवी D	सुनी देवी ✓	DMK/SDR/487	भदरपुर, दुमका	30	साधारण	GR105

27.1.14

24/1/14

श्रम अधीक्षक
दुमका

पत्रांक : 12

उप श्रमायुक्त का कार्यालय, संताल परगना प्रमण्डल, दुमका
(स्थित :- संयुक्त श्रम भवन, श्री जमड़ा, दुमका)

प्रेषक :- श्रम अधीक्षक - सह निदेशक पत्रां, 1996
दुमका।

रखा में,
सचिव,
शारखण्ड सामुदायिक उद्यान परिषद्,
याना रोड, दुमका।

विषय :- रोजगार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत भवन एवं सन्निर्माण कर्मकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत
निर्दिष्ट लाभुकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में।

दुमका दिनांक 06-01-2014

महोदय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित दुमका जिलान्तर्गत भवन एवं सन्निर्माण कर्मकर (निर्योजित एवं सेवा शर्त विनि०) अधिन० 1996 के अधीन निर्दिष्ट अधिक एवं रोजगार प्रशिक्षण के तहत सिलाई-कटवाई प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक (उम्र 35 से ज्यादा) हैं, अतः प्रवर्तन पदाधिकारी, दुमका सहर के पत्रांक ०६ दिनांक 02/01/14 के आशोक में सूची भेजी है। अनुसंधान है कि नियमानुसार लाभुकों को प्रशिक्षण देने हेतु अग्रतर कार्रवाई करने का कष्ट किया जाय।

क्रमांक	प्रशिक्षणार्थी का नाम	लाभुको का नाम	सिद्धान्त सं०	पता	शैक्षणिक योग्यता	कोई कोड
1	आरती देवी	आरती देवी	DMK/SDR/590	दुमका दुमका, दुमका	छात्र पास	GR105
2	राणी सोरेन	राणी सोरेन	DMK/SDR/381	गण्डवाडीह, दुमका	साक्षर	GR105
3	सिता देवी	सिता देवी	DMK/SDR/458	गान्धु पाड़ा, दुमका	साक्षर	GR105
4	बीना देवी	बीना देवी	DMK/SDR/501	दुमका दुमका, दुमका	साक्षर	GR105
5	सुलोचना देवी	सुलोचना देवी	DMK/SDR/457	बनिरा नगर, दुमका	साक्षर	GR105
6	रेखा देवी	रेखा देवी	DMK/SDR/597	दुमका दुमका, दुमका	साक्षर	GR105
7	मालती देवी	मालती देवी	DMK/SDR/479	दुमका दुमका, दुमका	साक्षर	GR105
8	लतिफा देवी	लतिफा देवी	DMK/SDR/467	मुकुण्डा, दुमका	साक्षर	GR105
9	मीनी मराठी	मीनी मराठी	DMK/SDR/461	पनागना, दुमका	साक्षर	GR105
10	सोनी सुर्प	सोनी सुर्प	DMK/SDR/1131	गिवर्न पहाड़ी, दुमका	साक्षर	GR105
11	गुलाबी देवी	गुलाबी देवी	DMK/SDR/466	भरकुण्डा, दुमका	साक्षर	GR105
12	बदमावती देवी	बदमावती देवी	DMK/SDR/463	भरकुण्डा, दुमका	साक्षर	GR105
13	नरेश्वरी देवी	नरेश्वरी देवी	DMK/SDR/469	भरकुण्डा, दुमका	साक्षर	GR105
14	पद्मावती देवी	पद्मावती देवी	DMK/SDR/579	सलवा, दुमका	साक्षर	GR105
15	मेरी देवी	मेरी देवी	DMK/SDR/471	सलवा, दुमका	साक्षर	GR105
16	मेरी देवी	मेरी देवी	DMK/SDR/502	सलवा, दुमका	साक्षर	GR105
17	मेरी देवी	मेरी देवी	DMK/SDR/476	सलवा, दुमका	साक्षर	GR105
18	सुमन देवी	सुमन देवी	DMK/SDR/462	भरकुण्डा, दुमका	साक्षर	GR105
19	साया देवी	साया देवी	DMK/SDR/506	सलवा, दुमका	साक्षर	GR105
20	पद्मावती देवी	पद्मावती देवी	DMK/SDR/475	सलवा, दुमका	साक्षर	GR105
21	सुमन देवी	सुमन देवी	DMK/SDR/473	सलवा, दुमका	साक्षर	GR105

absent

absent

absent

absent

absent

06/01/14
सचिव
उपनिदेशक

पत्रांक :46.....

96/8

रामगढ़

उप श्रमायुक्त का कार्यालय, संताल परगना प्रमण्डल, दुमका
(स्थित :- संयुक्त श्रम भवन, श्री अमड़ा, दुमका)

प्रेषक :-

राम अमीयक - साह - निबंधन पदा०, (भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्म० का० अधिनियम 1996)
दुमका ।

पत्रा. से,

सचिव,
झारखण्ड सामुदायिक उत्थान परिषद,
पाना रोड, दुमका ।

दुमका, दिनांक 20-01-2014

विषय :-

रोजगार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत
निर्दिष्ट लाभुकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित दुमका जिलान्तर्गत भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन
पूर्वा सेवा शर्त विनि०) अधि० 1996 के अधीन निर्दिष्ट श्रमिक जो रोजगार प्रशिक्षण के
सकत सिलाई-कटाई प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक (उम्र 35 से ज्यादा) हैं, रम प्रवर्तन
पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक 12 दिनांक 18/01/14 के आलोक में मूल आवेदन एवं कार्ड
की छायाप्रति के साथ सूची भेजेत हुए अनुरोध है कि नियमानुसार लाभुकों को प्रशिक्षण
देने हेतु अग्रतः करवाई करने का कष्ट किया जाय ।

क्रमांक	प्रशिक्षणगारी का नाम	लाभुको का नाम	निबंधन सं० सी.ए.	पता	शैक्षणिक संभवता	बोर्ड कोड
1.	सुबेज्वरी देवी ✓	सुबेज्वरी देवी ✓	DMK/SDR/505 RAM	मुर्गा दुमका, सिन्दुरिया	छात्र पास ✓	GR105
2.	काशी देवी	काशी देवी ✓	DMK/SDR/516 RAM	बाड़ी, रामगढ़	साक्षर ✓	GR105
3.	परिया देवी ✓	परियना देवी ✓	DMK/SDR/563 RAM	सोखता, रामगढ़	साक्षर ✓	GR105
4.	प्रमिला देवी ✓	प्रमिला देवी ✓	DMK/SDR/484 RAM	पुन्डिया, अमड़ाबाड़ी	साक्षर ✓	GR105
5.	महाश्वरी देवी ✓	महाश्वरी देवी ✓	DMK/SDR/540 RAM	सिन्दुरिया, रामगढ़	साक्षर ✓	GR105
6.	पुनम देवी	पुनम देवी ✓	DMK/SDR/585 RAM	"	साक्षर ✓	GR105
7.	माली देवी ✓	माली देवी ✓	DMK/SDR/658 RAM	सोखता, सिन्दुरिया	साक्षर ✓	GR105
8.	कल्पिना देवी ✓	कल्पिना देवी ✓	DMK/SDR/514 RAM	सोखता, सिन्दुरिया	साक्षर ✓	GR105
9.	रेखा देवी	रेखा देवी	DMK/SDR/406 RAM	जामपाड़ा, रामगढ़	साक्षर	GR105
10.	बानसुनी मुर्मू ✓	बानसुनी मुर्मू ✓	DMK/SDR/0133 RAM	मवाडीह, जारुडीह	साक्षर ✓	GR105
11.	अनिता देवी	अनिता देवी	DMK/SDR/350 RAM	बुणी, अमड़ाबाड़ी	साक्षर	GR105
12.	सुटिया देवी ✓	सुटिया देवी	DMK/SDR/519 RAM	सोखता, सिन्दुरिया	साक्षर	GR105
13.	गैरी देवी	गैरी देवी	DMK/SDR/554 RAM	"	साक्षर	GR105
14.	मृदुला किरक ✓	मृदुला किरक	DMK/SDR/323 RAM	रथिया पहाड़ी	साक्षर	GR105
15.	सुलक्ष्मी केचम ✓	सुलक्ष्मी केचम (सुलक्ष्मी)	DMK/SDR/241 RAM	"	साक्षर	GR105
16.	अनु देवी ✓	अनु देवी	DMK/SDR/279 RAM	जामपाड़ा, रामगढ़	साक्षर	GR105
17.	शाली देवी ✓	शाली देवी	DMK/SDR/0117 RAM	पंचुलाटीकर, रामगढ़	साक्षर	GR105
18.	उर्मिला देवी ✓	उर्मिला देवी	DMK/SDR/36 RAM	"	साक्षर	GR105
19.	रुखा देवी ✓	रुखा देवी	DMK/SDR/245 RAM	जानसहा, रामगढ़	साक्षर	GR105
20.	सुनिता देवी ✓	सुनिता देवी	DMF/SDR/0119 RAM	पंचुलाटीकर, रामगढ़	साक्षर	GR105

(Handwritten signature)

20/1/14
राम अमीयक
दुमका

झारखण्ड सरकार

बम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण झारखण्ड, राँची

सह-झारखण्ड सोसायटी फॉर स्कूल हेल्थपरोमोट इनीशिएटिव स्क्रीन।

प्रेषक,

विश्वनाथ शाह,

निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण

सह-सदस्य सचिव, JSSDIS

झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सचिव/ निदेशक/ प्राचार्य/ प्रबंधक

झारखण्ड सामुदायिक उत्पादन परिषद,

धाना रोड, दुमका, झारखण्ड।

राँची/दिनांक 6-3-13

विषय: भी०टी०पी० निर्वाचन का प्रेषण।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संलग्न में सूचित करना है कि ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों के जाँचोपचार झारखण्ड सामुदायिक उत्पादन परिषद, धाना रोड, दुमका, झारखण्ड को पत्र के साथ संलग्न प्रमाण-पत्र में अंकित सेक्टर/नॉडयुल में भी०टी०पी० के रूप में निर्धारित किया जाता है।

SDI योजनात्मक SDI Implementation Manual September 2010 में अंकित संपर्क को शत्रुसाह विद्युत सेक्टर/नॉडयुल में अपडेट्स का ऑनलाइन समायोजन यह इस समर्पण से ऑनलाइन टी०बी०एन० प्राप्त करने के पश्चात् प्रशिक्षण प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुसंगक- संशोधित।

विश्वासभाजन

1-2

05/03/13

(विश्वनाथ शाह)

निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण

सह-सदस्य सचिव, JSSDIS

झारखण्ड, राँची।

VTP Registration Certificate

37
6-3-13

VTP Registration Number : 420110004
VTP Name : Jharkhand Sawndayik Uthhan Parishad
VTP Address : Thana Road, Dumka
Jharkhand-814101

Offered Sectors, Module Code & Courses

Sl.	Sector	Module Code	Course
1	ELECTRICAL	ELE101	Basic Electrical Training
2		ELE202	Repair of Home Appliance
3	ELECTRONICS	ELC101	Basic Electronics (Repair & Maintenance of Power supply, inverters & UPS)
4	GARMENT MAKING	GAR101	Hand Embroider
5		GAR105	Tailor (Basic Sewing Operator)
6		GAR208	Garment Cutter
7		GAR210	Skilled Sewing Operator
8		GAR212	Tailor Children
9		GAR213	Tailor Ladies
10		GAR214	Tailor Gent's
11	FASHION DESIGN	FAD307	Fashion Designer- Grade I
12		FAD312	Formal Wear Designer-Grade I
13	INFORMATION COMM. TECH.	ICT101	Computer Fundamentals, MS-Office and Internet
14	BEAUTY CULTURE & HAIR DRESSING	BEA101	Basics of Beauty and Hair Dressing
15		BEA308	Beauty Therapist

[Signature]
Director 05/04/13

Employment & Training
Cum- Member Secretary, JSSDIS
Ranchi, Jharkhand

जातिनाली कल्याण जातुलत जा ना निव, जारखंड विधान, धुर्गा, राँची

प्रेषक,

श्री जार.के. संस, अ निवेदन, जातिनाली कल्याण ।

सेवा में,

सचिव,

संस्कृत सामुदायिक उद्यान

पारखट दुमका

राँची, 12/11/2020-2021

विषय:-

जगुहायत जाति, जगुहायत अ नाति जत्यावार विचारण जाधिनियम 1989 एवं नागारक सुरक्षा जाधिनियम 1955 के जाधिनियम एवं प्रचार प्रसार के संबंध में ।

महोदय,

असु सु विषय के संबंध में कहना है कि जारखंड राज्य में जगुहायत जाति/ जात जाति प्रचारित विचारण जाधिनियम 1989 एवं नागारक सुरक्षा जाधिनियम 1955 के जाधिनियम एवं प्रचार-प्रसार हेतु जाति संस्था का व्यत किया गया है ।

उपरोक्त जाधिनियम के अन्तगत जगुहायत जाति/ जात जाति एवं जात जाति/ जात जाति के बीच जागलपता सेवा करने हेतु निर्धारित जाधिनियम को जाधिनियम किया जाता है ।

1. होस्टल - फौजत जाधिनियम का अन्तगत 13"X20" का लोडिंग प्रकंड जाधिनियम एवं जात के जाति जाधिनियम 110X12

2. इन्फोर्मेशन - जो प्रकंड जाधिनियम/जाधिनियम/ जाधिनियम के जाधिनियम/ जाधिनियम/ जाधिनियम एवं जाधिनियम/ जाधिनियम एवं जाधिनियम एवं जाधिनियम के जाधिनियम जाधिनियम ।

111. हैजडांपल/ लिफ्ट - जो जाधिनियम/ जाधिनियम के जाधिनियम/ जाधिनियम एवं जाधिनियम एवं जाधिनियम एवं जाधिनियम एवं जाधिनियम के जाधिनियम जाधिनियम ।

112. विनाल मेकन - जाधिनियम के जाधिनियम/ जाधिनियम के जाधिनियम/ जाधिनियम एवं जाधिनियम एवं जाधिनियम एवं जाधिनियम के जाधिनियम जाधिनियम ।

113. हैज वेतना सिविल - जगुहायत जाति एवं जगुहायत जात जाति के जाधिनियम में जागलपता जाने के लिए जाधिनियम के जाधिनियम/ जाधिनियम एवं जाधिनियम एवं जाधिनियम के जाधिनियम जाधिनियम ।

114. जाधिनियम - प्रकंड हट नर जाधिनियम/ प्रकंड जाधिनियम/ जाधिनियम

जो जल्दबाजी में एक कार्यक्रमों का कार्यक्रम तैयार होगा। जिसमें प्रबंधक स्तर के सभी प्रशासकीय, तकनीकी, बुनियादी, ग्राम प्रधान/ जमीनदात्री सेक्टर, अनुसंधान के प्रशासकीय, योजना कारी एवं प्रबंध के गलतान्य क्षेत्रों में हों। अतः जो कार्यक्रमों का कार्यक्रम तैयार कर जो किया जाएगा। इस कार्यक्रमों के समन्वयक संयोजक तैयार करवाया जाएगा।

1/11- मुख्य नाटक एवं लोक संगीत- गैर सरकारी संस्था एवं स्वयं सेवकों संगीत के प्रदर्शनकार/ संगीतकार से सम्बंधित मुख्य नाटक का प्रदर्शन एवं लोक संगीत का गाने के लिए कर 10 स्थानों, प्रकाश/ गाँव में मुख्य नाटक एवं लोक संगीत का आयोजन करेगा।

उपरोक्त कार्यक्रमों के आयोजन कर लेने वाली अनुमानित व्यय निम्न है-

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	राशि
1.	होस्टिंग	8000
2.	गोस्टर	500
3.	सम्बन्धित लिखित	2000
4.	प्रशासनिक	3000
5.	येता गाँव	2000
6.	कार्यक्रम	5000
7.	मुख्य नाटक/ लोक संगीत	8000
8.	प्रशासकीय/ फोटोग्राफी	5000
9.	विभिन्न व्यय	2000
कुल-		40,000=00

होस्टिंग, गोस्टर, लिखित/लिखित प्रशासनिक, मुख्य नाटक एवं लोक संगीत के लिए या प्रत्येक को आयोजन करवाया जायुक्त से अनुमानित प्राप्त होने के अनुसार आवश्यकता तैयार होगा।

अतः अतः यह है कि उपरोक्त कार्यक्रम से संबंधित प्रत्येक कार्यवाही के लिए जैसा कि प्रत्येक के साथ विना-26-2-07 को अधीनस्थानों के नाम में जहाँ बैंक में मान लेने का पूरा करें।

निश्चयपूर्वक,


 उप निदेशक, कार्यक्रमों का आयोजन।

उप श्रमायुक्त का कार्यालय, संताल परगना प्रमण्डल, दुमका

कार्यालय आदेश संख्या. 05 /

दुमका, दिनांक- 22-2-2014


संताल परगना प्रमण्डल के अधीन देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोंडडा, पाकुड़ एवं साहेबगंज जिला में निबधित महिला लाभुको को सिलाई कटाई का प्रशिक्षण देने हेतु झारखण्ड सामुदायिक उत्थान परिषद, थाना रोड, दुमका को स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त प्रशिक्षण के लिये श्रमिक को 100 घंटा प्रशिक्षण हेतु 1000.00 (एक हजार) की राशि 30 प्रशिक्षणार्थियों को वेंच बना कर प्रशिक्षण हेतु निर्धारित की जाती है। उक्त प्रशिक्षण के लिये 30,000.00 (तीस हजार) रूपय की राशि 100 घंटा हेतु निर्धारित की जाती है। उक्त राशि में प्रशिक्षणार्थियों को जलपान एवं सिलाई प्रशिक्षण हेतु उपयोगी सामानों की आपूर्ति भी करेंगे। श्रमिकों का प्रशिक्षण-प्रमाण पत्र की छपाई भी करेंगे। इसके लिये अलग से कुछ भी राशि देय नहीं होगी। प्रशिक्षण के पश्चात् विपत्र समर्पित करने को उपरान्त उन्हें विपत्र का भुगतान किया जायेगा।


उप श्रमायुक्त,
संताल परगना प्रमण्डल,
दुमका।

ज्ञापक..... /

दुमका, दिनांक-


प्रतिलिपि- श्रम अधीक्षक, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोंडडा, पाकुड़ एवं साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अपने कार्यालय में वैसे निबधित महिला लाभुको जिनका उम्र 35 वर्ष से अधिक हो एवं सिलाई मशीन योजना के तहत सिलाई मशीन सहायता प्राप्त करना चाहते हो तो उनसे सिलाई कटाई के प्रशिक्षण का सहमति प्राप्त कर उपरोक्त संस्था को सूची उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे, ताकि उन्हें ससमय प्रशिक्षण दिया जा सके।


उप श्रमायुक्त,
संताल परगना प्रमण्डल,
दुमका

ज्ञापक 109 /

दुमका, दिनांक- 22-2-2014

प्रतिलिपि- सचिव, झारखण्ड सामुदायिक उत्थान परिषद, दुमका को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


उप श्रमायुक्त,
संताल परगना प्रमण्डल,
दुमका।

पत्रांक... 110/13.0.0

उप श्रमायुक्त का कार्यालय, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका

प्रेषक,

श्रम अधीक्षक

दुमका

सेवा में,

सचिव,

झारखण्ड सामुदायिक उत्थान परिषद,

नगर थाना के पीछे, दुमका।

दुमका, दिनांक:- 06.10.2015

विषय:-

दुमका जिला के अन्तर्गत प्रखण्ड ~~शिकारीपाड़ा एवं~~ ^{रानेश्वर} के बी.ओ.सी. डब्लु.डब्लु द्वारा निर्बंधित महिला श्रमिकों को सिलाई कटाई का प्रशिक्षण देने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत दुमका जिला के अन्तर्गत प्रखण्ड ~~शिकारीपाड़ा एवं~~ ^{रानेश्वर} के महिला श्रमिक को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अधीन निर्बंधित सदस्यता प्राप्त किये है, उन सभी की सूची इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए कहना है कि नियमानुसार सिलाई कटाई का प्रशिक्षण दिया जाय। प्रशिक्षण अवधि में संबंधित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अपने स्तर से प्रशिक्षण कार्य की निगरानी रखें।

प्रखण्ड

संख्या

शिकारीपाड़ा

70

रानेश्वर

01

विश्वासमानजन

06/10/15

श्रम अधीक्षक

दुमका।

पत्रांक : 68 B0e

उप श्रमायुक्त, संताल परगना प्रमण्डल का कार्यालय, दुमका
(स्थित :- संयुक्त श्रम भवन, श्री जमड़ा, दुमका)

प्रेषक :-

श्रम अधीक्षक -सह-
बी० ओ० सी० निबंधन पदाधिकारी
दुमका ।

प्रेषण में,

The Secretary,
Jharkhand Samudayik Utthan Parisad,
Thana Road, Dumka

दुमका, दिनांक...10.7.2015

विषय :- रोजगार प्रशिक्षण योजना MES (SDIS) के अन्तर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निबंधित श्रमिकों को Garment Making Code GAR-501 Hand Embroider में लाभुकों को प्रशिक्षण दिलवाने के सम्बन्ध में ।

प्रसंग- Jharkhand Samudayik Utthan Parisad, Dumka के पत्रांक.10 दिनांक 08.06.2015

महाराज,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि रोजगार प्रशिक्षण योजना MES (SDIS) के अन्तर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निबंधित श्रमिकों को भारत सरकार, निवोधन एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के नियमानुसार Garment Making Code GAR-501 Hand Embroider में प्रशिक्षण हेतु विहित प्रपत्र में कुल 70 (सत्तर) आवेदन, आवश्यक कागजात सहित, लाभुकों से प्राप्त हैं ।

अतः लाभुकों से उनके इच्छा अनुसार प्राप्त आवेदन की प्रति, आवश्यक कागजात तथा सूची उपलब्ध कराते हुए अनुरोध है कि नियमानुसार NCVT-MES (SDIS) के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिलवाने हेतु आवश्यक जग्रेतर कारवाई किया जाय ।

अनु० बयोस्त

विश्वनाथराज
10/7/15
श्रम अधीक्षक,
दुमका ।

पत्रांक : 132 / B.O.C.

उप श्रमायुक्त का कार्यालय, सताल परगना प्रमण्डल, दुमका
(स्थित :- संयुक्त श्रम भवन, श्री अमडा, दुमका)

प्रेषक, श्रम अधीक्षक - सह निबंधन पदाधिकारी - (बी.ओ.सी.)
दुमका।

सेवा में,
The secretary,
Jharkhand Samudayik Utthan Parisad
Thana Road, Dumka

दुमका दिनांक 20-11-2015

विषय :- रोजगार प्रशिक्षण योजना MES (SDIS) के अन्तर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा
निर्दिष्ट श्रमिकों को Garment Making Code GAR-501 Hand Embroider में लाभुकों को प्रशिक्षण
दिलवाने के संबंध में।

प्रसंग :- Jharkhand Samudayik Utthan Parisad Dumka के पत्रांक 10 दिनांक 08.08.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि रोजगार प्रशिक्षण योजना MES (SDIS) के अन्तर्गत
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट श्रमिकों को भारत सरकार, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, नई
दिल्ली के नियमानुसार Garment Making Code GAR-501 Hand Embroider में प्रशिक्षण हेतु विहित प्रपत्रों में कुल
70(सत्तर) आवेदन, आवश्यक कागजात सहित, लाभुकों से प्राप्त हैं।

अतः लाभुकों से उनके इच्छा अनुसार प्राप्ता आवेदन की प्रति आवश्यक कागजात तथा सूची उपलब्ध कराते
हूँ अनुरोध है कि नियमानुसार NCVT-MES (SDIS) Garment Making Code GAR-501 Hand Embroider के
अन्तर्गत प्रशिक्षण दिलवाने हेतु आवश्यक अग्रसर कार्यवाई किया जाए।

अनुष्ठ यथोचित

विशेषज्ञ
श्रम अधीक्षक,
दुमका।

पत्रांक : 30 / B.O.C.

उप श्रमायुक्त का कार्यालय, संताल परगना प्रमण्डल, दुमका
(स्थित :- संयुक्त श्रम भवन, श्री अमड़ा दुमका)

प्रेषक

श्रम अधीक्षक - सह निर्बंधन पदाधिकारी - (बी.ओ.सी.)
दुमका।

सेवा में,

The Secretry,
Jharkhand Samudayik Utthan Parisad
Thana Road, Dumka

दुमका, दिनांक : 20-02-2016

विषय :- रोजगार प्रशिक्षण योजना MES (SDIS) के अन्तर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्बंधित श्रमिकों को Garment Making Code Gar-501 Hand Embroider में लाभुकों को प्रशिक्षण दिलवाने के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि रोजगार प्रशिक्षण योजना MES (SDIS) के अन्तर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्बंधित श्रमिकों को भारत सरकार, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के नियमानुसार Garment Code GAR-501 Hand Embroider में प्रशिक्षण हेतु विहित प्रपत्रों में कुल 62 (बोसठ) आवेदन, आवश्यक कागजात सहित, लाभुकों से प्राप्त है।

अतः लाभुकों से उनके इच्छा अनुसार प्राप्त आवेदन की प्रति, आवश्यक कागजात तथा सूची उपलब्ध कराते हुए अनुरोध है कि नियमानुसार NCVT-MES (SDIS) Garment Making Code GAR-501 Hand Embroider के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिलवाने हेतु आवश्यक अग्रतर कारवाई किया जाए।

अनु० यथोक्ता

विश्वनाथराज
20/2/16
श्रम अधीक्षक,
दुमका।



राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
**National Bank for Agriculture and
 Rural Development**
 (Pvt) Ltd. | 2211164-2211117 Fax: 2229140

काली बागु स्ट्रीट
 शान्ति कोर्ट के पीछे
 उपर बाजार
 रांची - 834001

**Kali Bagu Street
 Behind Civil Court
 Upper Bazar
 Ranchi - 834 001**

Ref. No. No.NIF/JBY 275 / NTS - 6 (SUP)/2008-09
 Date: 11 December 2008

The Secretary
 Jharkhand Samudayik Uthhan Parishad (JSUP)
 Thana Road
 Dumka
Dumka - 814101.
 Dear Sir,

**Rural Entrepreneurship Development Programme (REDP) -
 Training on Tailoring and Beautician in Dumka block of Dumka District**

With reference to the proposal submitted by you, we are pleased to sanction an incentive linked activity entitled 02 (Two) REDPs for 30 x 2 = 60 participants with a grant assistance of Rs.47,800/- each i.e. Rs.47,800/- x 02 programme = Rs.95,600.00 (Rupees Ninety Five Thousand Six Hundred only) to Jharkhand Samudayik Uthhan Parishad (JSUP), Dumka hereinafter referred to as the 'agency' as per following details:

Location : Dumka Block of Dumka district
 Duration : 06 weeks
 Activities to be focused : Training on Tailoring & Beautician
 No of participants : 30 x 2 = 60
 Basic Cost of Training : Rs.47,800/- each x 02 Prog. = Rs.95,600.00
 Incentive based disbursement : Rs. 50,000/- each x 02 Prog. = Rs.1.00 lakh *

Amount sanctioned by bank	Incentive per participant (Rs.)	Maximum 50000/-
Upto Rs.25,000/-	1,000/-	
Rs.25,001 to Rs.2 lakh	2,500/-	
Above Rs.2 lakh	5,000/-	
In case of self-financed units minimum investment of Rs.10,000/- in plant & machinery	500/-	

* Incentive to be claimed every half year after the completion of REDP along with A-4 monitoring reports and PDMC minutes.

The item-wise break-up of expenses as approved by us is given in Annexure - I(A). The schedule for release of the grant assistance is given in the Annexure - I(B). The other terms and conditions governing this sanction are indicated in Annexure-1. Monitoring reports (A1/A2/A3/A4 with appendices) are enclosed.

2. In case of dropout of the candidates, the eligible amount of grant assistance shall be reduced proportionately.

Yours faithfully,

दुमका समाहरणालय

(जिला सांख्यिकी कार्यालय)

पत्रांक ...95.../जि.सां.10

पेपक,

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,
दुमका।

सेवा में,

सचिव,

क्रास्काउ सामूहिक इलाहात परिसर
रामगढ़, दुमका

दुमका, दिनांक 21.04.15

विषय :-
महाराज्य

छठी आर्थिक गणना 2012 के निमित्त मानदेय भुगतान हेतु चेक हस्तगत कराने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि छठी आर्थिक गणना 2012-13, के प्रगणकों के निर्धारित मानदेय का शेष 10% का भुगतान हेतु इस पत्र के साथ, राशि 148500/-¹⁴⁸⁵⁰⁰ का निर्गत चेक संख्या 346516 - संलग्न है। वर्तमान में मानदेय के शेष राशि का (10%) भुगतान किया जा रहा है। इस पत्र के साथ प्रगणकवार सूची संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उक्त राशि को संबंधित प्रगणकों को हस्तगत करा कर, प्राप्ति अभिप्रेत अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :- यथावत।

विश्वासिभाजन
22/4/15
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,
दुमका।

दुमका समाहरणालय

(जिला सांख्यिकी कार्यालय)

पत्रांक 49 / (जि.सां.)

प्रश्नक,

जिला सांख्यिकी प्रदाधिकारी,

दुमका।

सेवा में,

सचिव,

झारखंड सांख्यिकी

उत्थान परिषद्, दुमका

दुमका, दिनांक 19.02.2015

विषय :-
महाराज,

छठी वार्षिक गणना 2012 के विहित मानदेय भुगतान हेतु चेक हस्तगत कराने के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि छठी वार्षिक गणना 2012-13 के प्रगणकों के निर्धारित मानदेय का 90% भुगतान हेतु इस पत्र के साथ ^{2141133650/-} का निर्गत चेक संख्या 461482 संलग्न है। वर्तमान में मानदेय के राशि का 90% भुगतान किया जा रहा है। इस पत्र के साथ प्रगणकवार सूची संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उक्त राशि को संबंधित प्रगणकों को हस्तगत करा कर, प्राप्ति अभिलेख अडोहरसाक्षरी के कार्यालय को समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुसंगक :- यथोक्त।

विश्वासनाजन



जिला सांख्यिकी प्रदाधिकारी,

दुमका।

सं.सां. 49/15



झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

जिला स्तरीय कार्यालय : दुमका

खुडाबाँध, दुमका - 814101, झारखण्ड



फैक्स नंबर

Fax : (06434) 222239

Phone : (06434) 222086

Mobile : 9234063706

E-mail : jpsedumka@gmail.com

पत्रांक :

दिनांक :

प्रश्न,

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
झारखण्ड शिक्षा परियोजना, दुमका

सेवा में,

प्रधानाध्यापक-सह-सचिव,
सार्वजनिक संकुल

मध्य विद्यालय तिरुचौरिया, मध्य विद्यालय बांसदुसा, मध्य विद्यालय बड़ी रावतदियार, उन्नत मध्य विद्यालय तिरुचौरिया, उन्नत मध्य विद्यालय बाहु पाटोकोरिया, मध्य विद्यालय रामगढ़ बालक, कन्या मध्य विद्यालय मोनीहाट, उन्नत मध्य विद्यालय गुलम्बा, मध्य विद्यालय खुलुन, मध्य विद्यालय डंडोकेन्द्रे, मध्य विद्यालय सरसपहाड़ी, मध्य विद्यालय झोझर, मध्य विद्यालय सोडसैड।
प्रखण्ड रामगढ़।

विषय :

राष्ट्रीय बालिका प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु स्वयं सेवी संस्था, झारखण्ड सामुदायिक उत्थान परिषद्, दुमका को अवगत राशि निर्गत करने के संबंध में।

सहाय्य,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा अधीक्षताधारी को प्रेषित पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय बालिका प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम को क्रियान्वयन हेतु स्वयं सेवी संस्था, झारखण्ड सामुदायिक उत्थान परिषद्, दुमका को प्रथम किल्ल के रूप में उपलब्ध कराई गई 40 प्रतिशत राशि (2500/-₹0) का उपयोगित प्रमाण-पत्र एवं प्रगति प्रतिवेदन आपको प्राप्त हो चुका है। आपके द्वारा संस्था के कार्य को संतोषप्रद बताया गया है एवं अवशेष राशि भुगतान की अनुमति मांगी गई है।

हालांकि कि अधीक्षताधारी को पत्रांक 898 दिनांक 31.10.2008 द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से कार्यक्रम क्रियान्वयन के संदर्भ में आपको पूर्व में निदेश भेजा जा चुका है प्रसंगिक पत्र के आलोक में संस्थाओं को 01 नवम्बर 2008 से 31 मार्च 2009 तक संकुलवार अनामांकित एवं छेत्रिय बालिकाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं रिमोडियल टिचिंग का संचालन करना था। इस कार्य हेतु राज्य स्तर से प्राप्त निदेश के अनुसार प्रति संकुल निम्नवत् वित्तीय प्रावधान किया गया था।

- | | |
|--|----------|
| 1. व्यवसायिक प्रशिक्षक का मन्दैय प्रतिमाह | 1000/-₹0 |
| 2. रिमोडियल टिचिंग देने वाले शिक्षक का मन्दैय प्रतिमाह | 1200/-₹0 |
| 3. व्यवसायिक प्रशिक्षण सामग्री हेतु | 6250/-₹0 |
| 4. नॉनटैरिंग व्यय | 1620/-₹0 |

प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सभी संकुलों में एक साथ कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। संकुल स्तर पर कार्यक्रम के अनुसूचना को पूर्ण विनियमनी आवश्यक थी।

अतः निदेश है कि संस्था द्वारा संकुलवार कार्यक्रम संचालन की स्थिति के अनुसार व्यय की समीक्षा अपने स्तर से कर लें, कार्यक्रम संचालन संबंधी सभी प्रकार के दस्तावेज, प्रगति प्रतिवेदन एवं स्वयं सेवी संस्था उपयोगित प्रमाण-पत्र (गाउन्टर की छाया प्रति के साथ) व्यवसायिक प्रशिक्षण से संबंधित अपना कर्तव्य उपलब्ध कराकर जाने के पश्चात् संस्था को नियमानुसार अवशेष राशि भुगतान की अनुमति दी जाती है।

विश्वरामभावन

₹0/-

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, दुमका

आपांक: 937 दिनांक 22/11/09

प्रतिनिधि :

1. सचिव, झारखण्ड सामुदायिक उत्थान परिषद्, दुमका की सूचनाएं प्रेषित, झारखण्ड जेण्डर समन्वयक, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यायें प्रेषित।
2. उपर्युक्त, दुमका को सार्वजनिक सूचनाएं प्रेषित।

2015
जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, दुमका

(Handwritten Signature)
22-11-09



अन्तर्राष्ट्रीय शासकीय संस्थान सोसायटी International Centre of Governance Society (ICGS)

(शासन को स्थापना के लिए समर्पित संस्थान)

Ref : ICGS/1979/15

Date : 22/04/2015

सेवा में,

सचिव,
झारखण्ड सामुदायिक उत्थान परिषद्,
बुमका।

विषय : ग्रामोत्थान (आदर्शग्राम) परियोजना हेतु सूचीकरण के संदर्भ में।

महोदय/महोदया,

आपके संस्था के द्वारा सूचीकरण से सम्बन्धित विहित प्रपत्र में आवेदन एवं आवश्यक कगजात प्रखण्ड एवं ग्राम के नाम के साथ समर्पित किया गया था इस संदर्भ में सूचित करना है कि ग्रामोत्थान (आदर्शग्राम) परियोजना को मूर्त रूप देने हेतु आपको संस्था को सूचीबद्ध किया गया है जिसके पार्दर्श में आपके क्षेत्र के विधायक एवं सांसद को पत्र भेजा जा चुका है। आपसे आग्रह है कि आप अपने क्षेत्र के विधायक तथा सांसद के साथ मिल कर सम्बन्धित प्रखण्ड में किसी एक गांव का चयन कर लें तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को इसकी सूचना उपलब्ध करा दें तथा इसकी सूचना हमें भी ई-मेल आई. डी. में प्रेषित करें आपसे सूचना प्राप्त होते ही सम्बन्धित विभाग के सचिवों को तथा सम्बन्धित जिले के उपायुक्तों को इसकी सूचना प्रेषित की जाएगी।

जैसा की आपको पहले भी सूचित किया गया है कि इस परियोजना के लिए वित्तीय अनुदान का अलग से कोई प्रावधान नहीं है बल्कि विभिन्न विभागों के बजटीय प्रावधानों के तहत इस कार्य को पूरा किया जाना है। इसके लिए आवश्यक है कि सम्बन्धित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा उस क्षेत्र के जन प्रतिनिधि के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाए, राज्य स्तर पर विभागों के सचिवों के साथ समन्वय स्थापित करने का काम हमारी संस्था के द्वारा किया जाना है तथा आपको संस्था को भी इस परियोजना के लिए किसी प्रकार की तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो तो बौद्धिक हमारे ई-मेल आई. डी. पर सूचित करें हमारी टीम आपके मदद हेतु सदैव तत्पर रहेगी।

सन्मानान्वित।

महोदय
मयन कुमार
सचिव

नोट - हमारे कार्यालय को पर्याप्त पते से बहुत जल्द स्थानांतरित किया जा रहा है स्थानांतरण के उपरान्त नये पते से आपको अवगत कर दिया जायेगा।

H-369-A, Road No.- 4B, Ashok Nagar, Ranchi-834002 (Jharkhand),

Mob.: 9905020009, 8674918845, 7654039030, email: societygovernance@gmail.com, website: societygovernance.org

शासन (राजनीति), प्रशासन (सरकारी नौकरी) तथा विकास की प्रक्रिया में शोषितों तथा वंचितों की
समुचित भागीदारी के बिना सुशासन की कल्पना बेमानी है।

कार्यालय

झारखण्ड राज्य समाज कल्याण बोर्ड

रोड नं. 2, जामिया नगर, कटह, राँची

आंक :- 30/500/ए.क.क.ल.0/वेन/ए.सी.0/2005-06/20

दिनांक:- 6.1.86

सन्ताने,

भक्ति

झारखण्ड सामुदायिक कल्याण परिषद
ग्रामा शीत (विजयपुर डी.एल. के.वी. सामने)
पोस्ट-जिला - दुमका

विषय:- ग्रामीण एवं निर्धन महिलाओं के लिए जागरूकता प्रसार परिषोजना 2005-06 के लिए अनुदान को रातों की स्वीकृति भेजने के लिए प्रपत्र ।

सौंदर्य/सहायता

20/1/86 के आदेश संख्या 2005-06 के तहत के लिए निर्धारित अनुदान राशि को ग्रामीण महिलाओं के लिए जागरूकता प्रसार परिषोजना के अंतर्गत रू. 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये मात्र) के अनुदान के लिए झारखण्ड राज्य समाज कल्याण बोर्ड, राँची को भेजने के लिए प्रपत्र है । इस परिषोजनाओं के अनुदान का स्वीकृति भेजा जा रहा है:-

क्र.सं.	गौट/जिला एवं राज्य का नाम	अनुदान राशि का नाम	निमित्त का नाम	अनुदान राशि	भेजने वाले का नाम	कुल राशि
1.	विजयपुर	3,000/-	3,000/-	2,000/-	2,000/-	10,000/-
2.						

1. प्रत्येक शिविर में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या-25 होनी चाहिए ।

2. अनुलग्नक "क" उल्लिखित शर्तों के अलावा अनुदान की निम्न शर्त भी है:-

(क) संगठन अनुदान संबंधित लेखा को अलग से रखेगा । लेखा का लेखा परीक्षा चाटर्ड एकाउंटेंट द्वारा नियमित रूप से कराया जाएगा । लेखा परीक्षा द्वारा अलग से उपयोग का प्रमाण पत्र भेजे । बोर्ड के अनुदान अनुमोदित मती पर किए गए व्यय का विस्तारपूर्वक उल्लेख हो । उपयोग के प्रमाण पत्र में यह भी उल्लेख होना चाहिए कि अनुदान का उचित उपयोग स्वीकृति की अवधि के दौरान उन्ही उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था ।

(ख) परियोजना समाप्त होने के एक माह के भीतर निर्धारित फार्म में परियोजना का प्रतिवेदन, अंकीकृत लेखा, उपयोग का प्रमाण, आय-व्यय का विवरण और तुलना पत्र झारखण्ड राज्य समाज कल्याण बोर्ड के भेजे दिये जाए । इसकी प्रतियाँ केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए ।

(ग) संगठन बोर्ड द्वारा निर्धारित ढंग से बॉण्ड भरेगी और झारखण्ड राज्य समाज कल्याण बोर्ड/केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के नाम इस बारे में लिखित वचन भेजेगी कि अनुदान से संबंधित सभी शर्तों को मानेगा और इन शर्तों को न मानने पर वह बोर्ड को सम्पूर्ण अनुदान व्याज सहित लौटा देगा ।

3. अनुबंध है कि इस पत्र के मिलने की सूचना और निम्नलिखित विवरण झारखण्ड राज्य समाज कल्याण बोर्ड में बंधाशाघ भेज दे । ताकि इस अनुदान को शीघ्र चालित करने में सुविधा हो सके । अन्यथा यह स्वीकृति रद्द कर दी जाएगी । इन सभी की प्रतिलिपियाँ केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को भी दी जाए ।

(क) अनुलग्नक "क" और उपरोक्त शर्तों की विशिष्ट संख्या ।

(ख) परियोजना शुरू करने की वास्तविक तारीख और प्रथम 8 दिवसीय शिविर की प्रस्तावित तारीख ।

(ग) बैंक खाता चलाने के लिए प्रतिकृत हो अधिकारियों के नाम एवं पते की सूची जिसके संबंध में प्रबंध समिति के सकारण की प्रति भी हो जिसमें उन्हें यह अधिकार दिया गया हो ।

(घ) इस संगठन का नाम है जिसके नाम से दरानी (हुंडी) विमोड हाफ्ट जारी की जाती है और भारतीय स्टेट बैंक की नजदीक की शाखा का नाम भी है जहाँ हुंडी भुगतान करने के लिए आसानी से भुनाई जा सके । व्यक्तिगत नाम या पदनाम से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा ।

- (द) निर्धारित फार्म में परियोजना का विस्तृत व्यौरा जिसमें आयोजिकाओं का स्वीरा शिखर के लिए कार्यक्रम अपनाई गई प्रवृत्ति और विशेष आयु का स्वीरा दिया जाए ।
4. (क) निर्धारित फार्म में इस परियोजना के प्रस्तावित प्रभावी ।
- (ख) आयोजकों का विस्तृत विवरण निम्न बातों पर प्रशिक्षण केंद्रों को भेजा दिया जाए ।
- (ग) संस्था राज्य बोर्ड को यह लिखित आश्वासन देगी कि वह अपने आयोजकों को रस दिवसीय नवीकरण प्रशिक्षण के लिए उपरोक्त प्रशिक्षण केंद्र पर भेजेगी और प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए उनके यात्रा भत्ता एवं दैनिक भाते को भुगतान राशि शर्तों को मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्गत की जाएगी ।
- (घ) झारखण्ड राज्य समाज कल्याण बोर्ड की उपर्युक्त विवरण प्राप्त होने के बाद ही संगठन को संपूर्ण अनुदान आवंटित किया जाएगा जिसकी सूचना केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यालय को भेज दी जाएगी । अगर अनुदान का कोई अंश उपर्युक्त ही तो उपर्युक्त शेष राशि झारखण्ड राज्य समाज कल्याण बोर्ड को सौंपनी होगी ।
5. संस्था झारखण्ड राज्य समाज कल्याण बोर्ड को लिखित आश्वासन भेजेगी कि स्वीकृति पत्र की शर्तों का पालन करेगी, साथ ही उपर्युक्त शर्तों को मंजूरी संबंधित सम्पूर्ण कलाजात केंद्रीय बोर्ड को भेजने होगी ।
6. केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के निर्देशानुसार "स्वतंत्रता भ्रूण हत्या, बालिकाओं के लिए जीने का अधिकार" विषय पर अभियान चलाने एवं इसके प्रचार-प्रसार हेतु अपने शिखरों का अभिन्न हिस्सा बनाएँ ।

भवदीय



(रमेश झा)

अध्यक्ष

झारखण्ड राज्य समाज कल्याण
बोर्ड

झारखंड सरकार
कल्याण विभाग

संख्या -2/एन0जी0जो0-राज्य-90/2005 नं- 253

अन्य क्षेत्रीय उपयोजना
जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना

प्रेषक,

श्री एन.एन. सिन्हा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार/झारखंड, राँची।

राँची, दिनांक 9/12/06

विषय:- वित्तीय वर्ष 2006-07 में स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के कल्याणार्थ जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए 23,69,600/- रु0 (तेईस लाख उनहत्तर हजार छः सौ रूपये) एवं अनुसूचित जनजाति हेतु अन्य क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत 13.90 लाख रु0 (तेरह लाख नब्बे हजार रु0) एवं जनजातीय क्षेत्रीय उप योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति हेतु 41,63,360 /- रु0 (एकतालीस लाख तिरसठ हजार तीन सौ साठ रूपये) मात्र कुल मिलाकर 79,22,960/- रु0 (उन्नासी लाख बाईस हजार नौ सौ साठ रूपये) मात्र राशि की स्वीकृति।

महाराय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2006-07 में द्वितीय चरण में स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के कल्याणार्थ जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के लिए 23,69,600/- रु0 (तेईस लाख उनहत्तर हजार छः सौ रूपये) एवं अनुसूचित जनजाति हेतु अन्य क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत 13.90 लाख रु0 (तेरह लाख नब्बे हजार रु0) एवं जनजातीय क्षेत्रीय उप योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति हेतु 41,63,360 /- रु0 (एकतालीस लाख तिरसठ हजार तीन सौ साठ रूपये) मात्र कुल मिलाकर 79,22,960/- रु0 (उन्नासी लाख बाईस हजार नौ सौ साठ रूपये) मात्र राशि की स्वीकृति संलग्न विवरणों 1,2 एवं 3 के अनुसार प्रदान की है।

2. अनुसूचित जाति :- कुल भारित व्यय की राशि 23,69,600/- रु0 (तेईस लाख उनहत्तर हजार छः सौ रूपये) मात्र वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के योजना आय-व्ययक शीर्ष-“2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण -01-अनुसूचित जातियों का कल्याण जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना -उपशीर्ष-0214-अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए धिकित्सा एवं प्राथमिक कॉलेजों में पुस्तक अधिकांश 14 29 गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान” के अंतर्गत विकलनीय है।

3. अनुसूचित जनजाति :-कुल भारत व्यय की राशि 55,53,360/- (पचपन लाख तिरपन हजार तीन सौ साठ रुपये) में से 13.60 लाख रु० (तेरह लाख नब्बे हजार रु०) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के योजना आय-व्ययक शीर्ष-
 " 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जातियों का कल्याण-अन्य क्षेत्रीय उपयोजना-800-अन्य व्यय विषय कोड पी०- 2225028000101-उपशीर्ष 0101-अन्य कल्याण कार्यक्रम 14 29 गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान" एवं शेष 41,83,360 /- रु० (एकतालीस लाख तिरसठ हजार तीन सौ साठ रुपये)" 2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण- 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण जनजातीय उपयोजना-798-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना विषय कोड-पी 2225027960224-उपशीर्ष-0224-अनुसूचित जनजातियों के लिए भोकेशनल शिक्षा" के अंतर्गत विकलनीय है।
4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारों आदिवासी कल्याण आयुक्त, राँची होंगे। सचिव, कल्याण विभाग इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
5. महालेखाकार, बिहार/आरखंड, राँची से अनुरोध है कि कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची के नाम से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की कृपा करेंगे।
6. योजना के लिए स्वीकृत राशि आदिवासी कल्याण आयुक्त, राँची को आवंटित की जायेगी। वे आवंटित राशि की निकासी कर संबंधित राख्या की निर्धारित शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार बैंक ड्राफ्ट से राशि उपलब्ध करा देंगे। संबंधित प्रक्रिया एवं शर्तों से संबंधित पत्र अलग से निर्गत किया जा रहा है। वे राशि का भुगतान दी किस्तों में करेंगे। प्रथम किस्त के भुगतान के उपरान्त निरीक्षण प्रतिवेदन एवं राशि का उपयोगिता प्रयोग-पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त दूसरी किस्त दी जायेगी।
7. संस्थाओं को राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विषदवार एवं प्रत्येक तीन माह पर योजना की प्रगति की सूचना विभाग एवं आदिवासी कल्याण आयुक्त को देनी होगी।
8. एक ही आदेश के लिए संस्था द्वारा अन्य वित्तीय संस्था या सरकार के अन्य विभागों से राशि की माँग नहीं की जायेगी।
9. यह सुनिश्चित करना होगा कि राशि का विचलन नहीं किया जायेगा एवं लाभान्वितों से फीस नहीं ली जायेगी।
10. इस राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.98 की कड़िका- 15 एवं 16 में निहित प्रावधानों के आलोक में दी जाती है।
11. यह आदेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं०-802 दिनांक 18.03.2005 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

12. निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के संकल्प सं०- 2561/वि० दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 1800 दिनांक- 15.07.2003 तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देश के अनुसार किया जायेगा। कोषागार सहायता भाग- 1 के नियम 303 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. योजना की स्वीकृति तथा एकमुस्त निकासी पर विभागीय मंत्री एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
14. इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों/संस्थाओं को दी जा रही है।
15. पत्र की प्राप्ति स्वीकार की जाय।

विश्वासभाजन

Jeho
श्री. एम. सिन्हा
(एन.एन. सिन्हा)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-

253

संघी दिनांक-

9/12/06

प्रतिलिपि- विवरणी सहित वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ आदिवासी कल्याण आयुक्त, संघी/सभी संबंधित उपायुक्त/सभी संबंधित उपविकास आयुक्त/सभी संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण/सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी संबंधित गैर सरकारी संस्था/सांख्यिकी कोषाग, कल्याण/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कल्याण/ बजट शाखा, कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Jeho
श्री. एम. सिन्हा
(एन० एन० सिन्हा)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक - क-

253

संघी दिनांक -

9/12/06

प्रतिलिपि- विवरणी सहित सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, घुर्वा, संघी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Jeho
श्री. एम. सिन्हा
(एन० एन० सिन्हा)

सरकार के सचिव

विवरण - 1

फेज - II

वित्तीय वर्ष 2006-07 में जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ बेरोजगार सदस्यों को स्वयंयोजन उपलब्ध कराने के निमित्त गैर सरकारी संस्थाओं को स्वीकृत अनुदान की राशि की विवरणी :-

क्रम सं०	गैर सरकारी संस्था का नाम	कार्य क्षेत्र	स्वीकृत परियोजना	स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
1	मानव समाज कल्याण संस्था मजिस्ट्रेट कॉलोनी, पाकुड़	लिट्टीपाड़ा	कृषि एण्ड टेलरिंग	403000.00	
2	बुद्ध शैक्षणिक विकास परिषद्, स्टेशन रोड, जामताड़ा	जामताड़ा	प्राथमिक विद्यालय संचालन	703000.00	
3	योग नेचर एंडर एण्ड हेल्थकेयर फाउन्डेशन ऑफ इण्डिया, जामताड़ा	जामताड़ा	वोकेशनल ट्रेनिंग	807500.00	बालू योजना
4	शारखंड सामुदायिक उत्थान परिषद्, दुमका	दुमका	कम्प्यूटर ट्रेनिंग	455000.00	
योग				2369600.00	

(तीईस लाख उनहत्तर हजार ७: सौ रुपये) मात्र


d. h. s.
(एन० एन० सिन्हा)
सरकार के रायिव

विवरण - 2

फेज - II

वित्तीय वर्ष 2006-07 में अन्य क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ बेरोजगार सदस्यों को अनियोजन उपलब्ध कराने के निमित्त गैर सरकारी संस्थाओं को स्वीकृत अनुदान की राशि की विवरणी :-

क्रम सं०	गैर सरकारी संस्था का नाम	कार्य क्षेत्र	स्वीकृत परियोजना	स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
1	एत्री शक्ति, गाँधीनगर कॉलेज भौह, हजारीबाग	चूखू प्रखंड	मोबाइल डिस्पेंसरी	443000.00	
2	दिकरा इंटरनेशनल, हमीदगंज, झालटेनगंज, पलामू	पाटन प्रखंड	कापट सेंटर	842000.00	
3	ईला समाह कल्याण - सह - प्रशिक्षण जागृति केंद्र, स्टेशन रोड, देवघर	स्टेशन रोड, चेंबघर	मीटिंग एण्ड पेंटिंग ट्रेनिंग	105000.00	
			योग	1390000.00	
			(तेरह लाख नब्बे हजार रुपये) मात्र		


 (एन० एन० सिन्हा)
 सरकार के सचिव


विवरण - 3

फेज - II

वित्तीय वर्ष 2006-07 में जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ बेराजगार सदस्यों को स्वनियोजन उपलब्ध कराने के निमित्त गैर सरकारी संस्थाओं को स्वीकृत अनुदान की राशि की विवरणी :-

क्रम सं०	गैर सरकारी संस्था का नाम	कार्य क्षेत्र	स्वीकृत परियोजना	स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
1	जय श्री कूसेड सोसाईटी, सामलौंग धोक, चुटिया, राँधी	कांले प्रखंड	वोकेशनल ट्रेनिंग	500020.00	
2	ब्रह्मेश्वर सेवा संस्थान, नहर चौक गोइडा	संताल परगना प्रमंडल	वोकेशनल ट्रेनिंग	434000.00	
3	लोक प्रेरणा आरती भवन, कोर्ट रोड बी० देवघर	दुमका	वोकेशनल ट्रेनिंग	754000.00	
4	योग नेचर क्योर एण्ड हेल्थ केयर फाउन्डेशन ऑफ इंडिया, जामताड़ा	निहिजाम जामताड़ा	मोबाईल डिस्पेंसरी	903870.00	
5	टेकनिकल एजुकेशन एण्ड रूरल सासाईटी, बड़ा घाघरा, नागकुम, राँधी	खिजरी प्रखंड	मोबाईल डिस्पेंसरी	674000.00	
6	बुद्ध शैक्षणिक विकास परिषद, जामताड़ा	जामताड़ा प्रखंड	वोकेशनल ट्रेनिंग	441490.00	
7	आरखंड सामुदायिक उत्थान परिषद, दुमका	दुमका	कम्प्यूटर ट्रेनिंग	456000.00	
			योग	4163360.00	

(एकतालीस लाख निरसठ हजार तीन सौ साठ रुपये) मात्र


 (एन० एन० सिन्हा)
 सरकार के सचिव

झारखंड सरकार

कल्याण विभाग

संख्या -2/एन0जी0ओ0-राज्य-90/2005 क-

254

अन्य क्षेत्रीय उपयोजना
जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना

प्रेषक,

श्री एन.एन. सिन्हा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

आदिवासी कल्याण आयुक्त,
राँची।

राँची, दिनांक 9/12/06

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2006-07 में स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के कल्याणार्थ जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए 23,69,600/- रु० (तेईस लाख उनहत्तर हजार छः सौ रूपये) एवं अनुसूचित जनजाति हेतु अन्य क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत 13.90 लाख रु० (तेरह लाख नब्बे हजार रु०) एवं जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति हेतु 41,63,360 /- रु० (एकतालीस लाख तिरसठ हजार तीन सौ साठ रूपये) मात्र कुल मिलाकर 79,22,960/- रु० (उन्नासी लाख बाईस हजार नौ सौ साठ रूपये) मात्र राशि का आवंटन।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने स्वीकृत्यादेश सं० 253 दिनांक 9/12/06 वित्तीय वर्ष 2006-07 में द्वितीय चरण में स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के कल्याणार्थ जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए 23,69,600/- रु० (तेईस लाख उनहत्तर हजार छः सौ रूपये) एवं अनुसूचित जनजाति हेतु अन्य क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत 13.90 लाख रु० (तेरह लाख नब्बे हजार रु०) एवं जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति हेतु 41,63,360 /- रु० (एकतालीस लाख तिरसठ हजार तीन सौ साठ रूपये) मात्र कुल मिलाकर 79,22,960/- रु० (उन्नासी लाख बाईस हजार नौ सौ साठ रूपये) मात्र राशि की संलग्न विवरणी 1, 2 एवं 3 के अनुसार प्रदान की है। तदनुसार स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी- 1,2 एवं 3 के अनुसार कुल मिलाकर 79,22,960/- रु० (उन्नासी लाख बाईस हजार नौ सौ साठ रूपये) मात्र राशि आवंटित की जाती है।

2. अनुसूचित जाति :- कुल भारत व्यय की राशि 23,69,600/- रु० (तेईस लाख उनहत्तर हजार छः सौ रूपये) मात्र वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के योजना

आय-व्ययक शीर्ष-“2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण -01-अनुसूचित जातियों का कल्याण जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना लघुशीर्ष - 796 - जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-उपशीर्ष-0214-अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए त्रिकित्सा एवं प्रावैधिक कॉलेजों में पुस्तक अधिकोष 14 29 गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान” के अंतर्गत विकलनीय है। विपत्र कोड - पी0 2225017960214 है।

3. अनुसूचित जनजाति :- कुल भारत व्यय की राशि 55,53,380/- (पच्चपन लाख तिरपन हजार तीन सौ साठ रुपये) में से 13.90 लाख रू0 (तेरह लाख नब्बे हजार रू0) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के योजना आय-व्ययक शीर्ष-“2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जातियों का कल्याण-अन्य क्षेत्रीय उपयोजना-600-अन्य व्यय विपत्र कोड पी0-2225028000101-उपशीर्ष 0101-अन्य कल्याण कार्यक्रम 14 29 गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान” एवं शेष 41,63,380 /- रू0 (एकतालीस लाख तिरसठ हजार तीन सौ साठ रुपये)“2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण- 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण जनजातीय उपयोजना-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना विपत्र कोड-पी 2225027960224-उपशीर्ष-0224-अनुसूचित जनजातियों के लिए भोकेशनल शिक्षा-” के अंतर्गत विकलनीय है।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आदिवासी कल्याण आयुक्त, राँची होंगे। सचिव, कल्याण विभाग इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे। वे आवंटित राशि की निकासी कर संबंधित संस्थाओं को निर्धारित शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार बैंक ड्राफ्ट से राशि उपलब्ध करा देंगे। प्रक्रिया एवं शर्तों की जानकारी संबंधित पत्र अलग से निर्गत किया जा रहा है।

5. राशि का भुगतान दो किस्तों में किया जायेगा। प्रथम किस्त के भुगतान के उपरान्त निरीक्षण प्रतिवेदन एवं राशि का उपयोगिता प्रयोग-पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त दूसरी किस्त दी जायेगी।

6. गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विषयवार तथा की प्रगति की सूचना प्रत्येक तीन माह पर विभाग तथा आदिवासी कल्याण आयुक्त, राँची को देनी होगी।

7. यह सुनिश्चित करना होगा कि राशि का विचलन नहीं किया जायेगा एवं लाभान्वितों से फीस नहीं ली जायेगी।

8. निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के संकल्प सं0- 2581/वि0 दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 1800 दिनांक- 15.07.2003 तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत

निर्देश के अनुसार किया जायेगा। कोषागार संहिता भाग- 1 के नियम 300 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. यह आदेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं०- 302 दिनांक 18.03.2005 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
10. योजना के एक मुस्त अधिन राशि का निकासी की स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2581 दिनांक- 17.04.98 की कड़िका- 15 एवं 16 में गिहित प्रावधानों के आलोक में दी जाती है।
11. इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जा रही है।
12. पत्र की प्राप्ति स्वीकार की जाय।

विश्वासभाजन

Nehru
8/12/06
(एन.एन. सिन्हा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक:-

254

रॉची दिनांक:-

9/12/06

प्रतिलिपि:- विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार/झारखंड, रॉची/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ आदिवासी कल्याण आयुक्त, रॉची/सभी संबंधित उपायुक्त/सभी संबंधित उपविकास आयुक्त/सभी संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण/सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी संबंधित गैर सरकारी संस्था/सांख्यिकी कोषाग, कल्याण/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कल्याण/ बजट शाखा, कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Nehru
8/12/06
(एन० एन० सिन्हा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक - क-

254

रॉची दिनांक -

9/12/06

प्रतिलिपि:- विवरणी सहित सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Nehru
8/12/06
(एन० एन० सिन्हा)
सरकार के सचिव

8. प्रशिक्षणार्थियों के परीक्षा हेतु Assessment Fee 800/- प्रतिछात्र देना अनिवार्य है। Assessment Fee can be increase or decrease according to SDIS Guidelines.

अनुलग्नक - प्रखण्ड नीमडीह के 168 लाभुकों की सूची।

विद्ययासमाप्ता,
46
12/1/16
(रवीन्द्र प्रसाद सिंह)
ग्राम अधीक्षक,
सरायकेला-खरसावाँ।

आमंत्र -

सरायकेला, दिनांक :-

प्रतिलिपि - एम अनायुक्त, जमशेदपुर/सचिव, झारखण्ड गवर्न एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित। कृपया इसकी प्राप्ति स्वीकार करने की महती कृपा की जाय।

46
ग्राम अधीक्षक,
सरायकेला-खरसावाँ।

पत्रांक - III
झारखण्ड सरकार
अम. नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
अम. अधीक्षक का कार्यालय, सरायकेला खरसावाँ।

Nimajh

प्रेमक श्री खीन्द जगत सिंह
 अम. अधीक्षक,
 सरायकेला खरसावाँ।

सेवा में Director,
 Jharkhand Samudayik Uthari Parishad, Dumka
 C/o- Advance Techno Management
 Sonari, Jamshedpur.

सरायकेला, दिनांक - 06-02-2016

विषय - झारखण्ड अमन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निवर्धित श्रमिकों/श्रमिकों के बच्चों को "रोजगार प्रशिक्षण योजना" के तहत प्रशिक्षण देने के संबंध में।

सारांश उपरोक्त विषयक कल्याण है कि जिला अन्तर्गत झारखण्ड अमन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निवर्धित श्रमिकों/श्रमिकों के बच्चों के द्वारा "रोजगार प्रशिक्षण योजना" के तहत प्रशिक्षण हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं जिन्हें विना Trade/Module में नियमानुसार पेशगीर सुयोग्य प्रशिक्षकों के माध्यम से लाभुकों को प्रशिक्षण देने हेतु अग्रसर कार्रवाई करने का कष्ट किया जाय।

Sl.No.	COURSES/MODULE	DURATION OF TRAINING (HRS)	TRAINING COST AS PER GUIDELINES	ASSESSMENT COST PER CANDIDATES	10% additional expenditure for module run in LWE affective Districts.
1	2	3	4	5	6
1.	Repair and maintenance of Domestic Electronics Appliances	520	RS. 30.00 PER HOUR PER TRAINEE	800/-	Yes
2.	Electrical Domestic	700	RS. 30.00 PER HOUR PER TRAINEE	800/-	Yes
3.	Hand Embroidery	620	RS. 30.00 PER HOUR PER TRAINEE	800/-	Yes
4.	Beauty Therapist & Hair Style	600	RS. 30.00 PER HOUR PER TRAINEE	800/-	Yes

- प्रशिक्षणार्थियों को कम-से-कम 4 घंटा प्रतिदिन प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात ही 100/- प्रतिदिन प्रति छात्र भोजनादि की व्यवस्था आसके द्वारा कराया होगा। योजना व्यव का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात ही राशि का भुगतान किया जायेगा।
- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि रोजगार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत कच्चे रवे सभी शिक्षण NSQF Compliant हों।
- Skill Development Initiative Scheme (SDIS) के नियमानुसार Assessment माना होगा। Assessment Fee बोर्ड द्वारा वहन किया जायेगा। Training Fee या भुगतान Assessment के पश्चात ही बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

8. प्रविष्टि/परिवर्तन के परीक्षा हेतु Assessment Fee 800/- प्रतिपत्र देना अनिवार्य है; Assessment Fee to be increase or decrease according to SDAIS Guidelines.

अनुसूचक - कुल - 210 (दो सौ दस) रुपये की कुली संख्या।

विश्वाशभाजन,

(रवीन्द्र प्रसाद सिंह)
भग अधीक्षक,
सरायकोला-खरसावाही।

घाषांग - 1289

सरायकोला दिनांक :- 05-11-2015

प्रतिस्तिपि - जगदन्नाथ, जगशेठपुर/राविक, झारखण्ड भवन एवं अन्य सम्पत्ति पर कार्यवाही करवाण बोर्ड, सीडी का सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही समर्पित। कृपया इसकी प्राप्ति स्वीकार करने की माहरी कृपा की जाय।

भग अधीक्षक
सरायकोला-खरसावाही।

पत्रांक - 1289

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
श्रम अधीक्षक का कार्यालय, सरायकेला खरसावाँ।

प्रेषक,

श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह
रम लक्ष्मीक,
सरायकेला खरसावाँ।

सेवा में,

Director,
Jharkhand Samudayik Ujjan Parishad, Dumka
C/o- Advance Techno Management
Sonari, Jamshecpur.

सरायकेला, दिनांक - 05-11-2015

विषय :-

झारखण्ड श्रम एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित श्रमिकों/श्रमिकों के बच्चों को "रोजगार प्रशिक्षण योजना" के तहत प्रशिक्षण देने के संबंध में।

सादरशय,

उपरोक्त विषयगत बाइना है कि जिला अन्तर्गत झारखण्ड श्रम एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित श्रमिकों/श्रमिकों के बच्चों के द्वारा "रोजगार प्रशिक्षण योजना" के तहत प्रशिक्षण हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं जिन्हें निम्न Trade/Module में नियमानुसार यथादीर्घ सुयोग्य प्रशिक्षकों के माध्यम से लासुर्वी को प्रशिक्षण देने हेतु अद्यतन कार्यवाई करने का कष्ट किया जाय।

क्र.सं.	COURSES/MODULE	DURATION OF TRAINING (HRS)	TRAINING COST AS PER GUIDELINES	ASSESSMENT COST PER CANDIDATES	10% additional expenditure for module run in LWE affected District.
1	2	3	4	5	6
1.	Repair and maintenance of Domestic Electronics Appliances.	520	RS. 27.50 PER HOUR PER TRAINEE	800/-	Yes
2.	Electrical Domestic.	700	RS. 27.50 PER HOUR PER TRAINEE	800/-	Yes
3.	Hand Embroider.	620	RS. 27.50 PER HOUR PER TRAINEE	800/-	Yes
4.	Beauty Therapist & Hair Style.	600	RS. 27.50 PER HOUR PER TRAINEE	800/-	Yes

- प्रशिक्षणार्थियों को कम-से-कम 4 घंटा प्रतिदिन प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ही 100/- प्रतिदिन प्रति छात्र भोजनादि की व्यवस्था आपके द्वारा करना होगा। शोकांत व्यय का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् ही राशि का भुगतान किया जायेगा।
- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि रोजगार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत कराये गये सभी प्रशिक्षण NSDF Compliant हैं।
- Skill Development Initiative Scheme (SDIS) के नियमानुसार Assessment करना होगा। Assessment Fee बोर्ड द्वारा खर्च किया जायेगा। Training Fee का भुगतान Assessment के उपरान्त ही बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

२३३३

4. प्रशिक्षार्थियों के परीक्षा शुल्क Assessment Fee- 800/- प्रति छात्र देना अनिवार्य है। Assessment Fee can be increase or decrease according to SDIS Guidelines.

अनुलग्नक - 221 लाभुकों की सूची।
(अलग-अलग पानों पर)

प्रिंसिपल,
(रवीन्द्र प्रसाद सिंह)
अम अधीक्षक,
सदायकाला-छहरसाबी।

पत्रांक :- 1257

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
श्रम आयोग का कार्यालय, सरायकेला खरसावाँ।

प्रेषक,

श्री स्वप्न प्रसाद सिंह
श्रम आयोग,
सरायकेला खरसावाँ।

सेवा में,

Director,
Jharkhand Samudayik Utthan Parishad, Dumka
C/o Advance Techno Management
Sonari, Jamshedpur.

सरायकेला, दिनांक :- 31-10-2015

विषय :-

झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत नियोजित श्रमिकों/श्रमिकों के रखों को "रोजगार प्रशिक्षण योजना" के तहत प्रशिक्षण देने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कहना है कि जिला अन्तर्गत झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत नियोजित श्रमिकों/श्रमिकों के रखों को द्वारा "रोजगार प्रशिक्षण योजना" के तहत प्रशिक्षण हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं जिन्हें निम्न Trade/Module में नियमानुसार व्यवस्थित सुयोग्य प्रशिक्षणों के माध्यम से तालुकों को प्रशिक्षण देने हेतु अग्रसर कार्यवाई करने का कष्ट किया जाय।

Sl.No.	COURSES/MODULE	DURATION OF TRAINING (HR)	TRAINING COST AS PER GUIDELINES	ASSESSMENT COST PER CANDIDATES	10% additional expenditure for module run in LWE affected Districts.
1.	Repair and maintenance of Domestic Electronic Appliances	520	RS. 27.50 PER HOUR PER TRAINEE	800/-	Yes
2.	Electrical Domestic	300	RS. 27.50 PER HOUR PER TRAINEE	800/-	Yes
3.	Hand Embroider.	520	RS. 27.50 PER HOUR PER TRAINEE	800/-	Yes
4.	Beauty Therapist & Hair Style	600	RS. 27.50 PER HOUR PER TRAINEE	800/-	Yes

1. प्रशिक्षणार्थियों को वार-रो-वाम 4 घंटा प्रतिदिन प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा। तदनुसार ही 100/- प्रतिदिन प्रति छात्र भोजनादि की व्यवस्था आरम्भ द्वारा करना होगा। भोजन व्यय का विषय प्रस्तुत करने के पश्चात ही राशि का मुमताम किया जायेगा।
2. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि रोजगार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत कराये गये सभी प्रशिक्षण NSQF Compliant हैं।
3. Skill Development Initiative Scheme (SDIS) के नियमानुसार Assessment कराया होगा। Assessment Fee बोर्ड द्वारा भहन किया जायेगा। Training Fee का मुमताम Assessment के उपरान्त ही बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

30/10/15

4. प्रशिक्षणार्थियों को परीक्षा शुल्क Assessment Fee 800/- प्रतिमात्र देना अनिवार्य है। Assessment Fee can be increase or decrease according to SWS Guidelines.

अनुसन्ध :- प्रखण्ड आत्मसूचना के 240 लम्बूको को शूची।

निवासागावत,
40
(रविन्द प्रसाद सिंह)
अम ज्योतिरु,
जमशेदपुर।

संख्या :-

जमशेदपुर, दिनांक :-

प्रतिदिशि :- उप अमायुक्त जमशेदपुर/सचिव, आरक्षक भवन एवं अन्य सम्बन्धीन कार्यालय कक्षाग बोर्ड, शीघ्र को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई सम्पत्त। कृपया इरज्जी प्राप्ति स्वीकार करने की गहरी शूचा की जाय।

40
अम ज्योतिरु,
जमशेदपुर।

पत्रांक :-

149

झारखण्ड सरकार

अम. नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
अम. अधीक्षक का कार्यालय, जमशेदपुर।

प्रेम्यः

श्री रविन्द्र प्रताप सिंह
अम. अधीक्षक,
जमशेदपुर।

सोम में,

Director,
Jharkhand Samudayik Uthan Parishad,
Dumka

विषय :-

झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत नियुक्त श्रमिकों/श्रमिकों के वर्कों को "रोजगार प्रशिक्षण योजना" के तहत प्रशिक्षण देने के संबंध में।

महानगर,

उपरोक्त विषयक कक्षा है कि जिला अन्तर्गत झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत नियुक्त श्रमिकों/श्रमिकों के वर्कों को द्वारा "रोजगार प्रशिक्षण योजना" के तहत प्रशिक्षण हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं जिन्हें निम्न Trade/Module में नियमानुसार अपाशीष सुयोग्य प्रशिक्षकों के सहाय से लाभकों को प्रशिक्षण देने हेतु अपाशीष कार्रवाई करने का कष्ट किया जाय।

S. No.	COURSES/MODULE	DURATION OF TRAINING (HRS)	TRAINING COST AS PER GUIDELINES	ASSESSMENT COST PER CANDIDATES	10% additional expenditure for module run in LWE effective Districts.
1	2	3	4	5	6
1.	Repair and maintenance of Domestic Electronics Appliances.	520	RS. 30.00 PER HOUR PER TRAINEE	800/-	Yes
2.	Electrical Domestic.	700	RS. 30.00 PER HOUR PER TRAINEE	800/-	Yes
3.	Hand Embroider.	620	RS. 30.00 PER HOUR PER TRAINEE	800/-	Yes
4.	Beauty Manicure & Hair Style.	600	RS. 30.00 PER HOUR PER TRAINEE	800/-	Yes

- प्रशिक्षणार्थियों को कम-से-कम 4 घंटे प्रतिदिन प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा। सप्ताहगत ही 100/- प्रतिदिन प्रति छात्र भोजनराशि की व्यवस्था आपके द्वारा करना होगा। भोजन व्यय का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात ही राशि का भुगतान किया जायेगा।
- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि रोजगार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत कराये गये सभी प्रशिक्षण NSRF Compliant हों।
- Skill Development Initiative Scheme (SDIS) के नियमानुसार Assessment करना होगा। Assessment Fee बोर्ड द्वारा वहन किया जायेगा। Training Fee का भुगतान Assessment के उपरांत ही बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

4. परीक्षणार्थियों के परीक्षा हेतु Assessment Fee 800 /- प्रतिछात्र देना अनिवार्य है। Assessment fee can be increase or decrease according to SOIS Guidelines.

अनुक्रमिक - प्रखण्ड राजनगर के 179 छात्रों की सूची।

विद्यारामाजी,

44
(एवीन्द कृष्णन सिंह)
आम अतिरिक्त, 215
सरायकेला-अरसायी।

शासक - 1409

सरायकेला, दिनांक - 29/12/2015

प्रतिलिपि :- उप अध्यायका, जमशेदपुर/सचिव, आरखण्ड भवन एवं अन्य सम्बन्धित कर्मचार-कल्याण बोर्ड, राँची को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये। ज्ञापना इस्वी प्रार्थना करके की महती कृपा की जाय।

46
आम अतिरिक्त
सरायकेला-अरसायी।

क्र.सं.	नाम	पता	संकेत
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

पत्रांक - 1409

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं औद्योगिक विकास विभाग
श्रम अधीक्षक का कार्यालय, सरायकेला खरसावाँ।

प्रेषक:

श्री स्वीन्द प्रसाद सिंह
श्रम अधीक्षक,
सरायकेला खरसावाँ।

सेवा में,

Director,
Jharkhand Samudayik Ushan Parishad, Dumka
C/o- Advance Techno Management
Solari, Jamshedpur.

सरायकेला, दिनांक - 27/12/2015

विषय -

झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निश्चित श्रमिकों/श्रमिकों के बच्चों की 'रोजगार प्रशिक्षण योजना' के तहत प्रशिक्षण देने के संबंध में।

संदर्भ -

सुपरीकृत विभाग कहना है कि जिला अन्तर्गत झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निश्चित श्रमिकों/श्रमिकों के बच्चों के द्वारा 'रोजगार प्रशिक्षण योजना' के तहत प्रशिक्षण हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं जिन्हें निम्न Trade/Module में नियमानुसार पेशावरीय सुयोग्य प्रशिक्षणों को माध्यम से लाभुकों को प्रशिक्षण देने हेतु अद्यतन कार्यवाई करने का वाक्य किया जाव।

Sl.No	COURSES/MODULE	DURATION OF TRAINING (HRS)	TRAINING COST AS PER GUIDELINES	ASSESSMENT COST PER CANDIDATES	10% additional expenditure for module run in IWE affected Districts.
1	2	3	4	5	6
1.	Repair and maintenance of Domestic Electronic Appliances.	520	RS. 30.00 PER HOUR PER TRAINEE	800/-	Yes
2.	Electrical Domestic.	700	RS. 30.00 PER HOUR PER TRAINEE	800/-	Yes
3.	Hand Embroider.	600	RS. 30.00 PER HOUR PER TRAINEE	800/-	Yes
4.	Beauty Therapist & Hair Style.	600	RS. 30.00 PER HOUR PER TRAINEE	800/-	Yes

1. प्रशिक्षणार्थियों को कम-से-कम 5 घंटा प्रतिदिन प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा। व्ययरेखा ही 100/- प्रतिदिन प्रति छात्र योजनादि की व्यवस्था आपके द्वारा कराना होगा। भोजन व्यय का विपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही पशि का भुगतान किया जाएगा।
2. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि रोजगार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत चलाये गये सभी प्रशिक्षण NSQF Compliant हों।
3. Skill Development Initiative Scheme (SDIS) के नियमानुसार Assessment कराना होगा। Assessment Fee बोर्ड द्वारा चरन किया जाएगा। Training Fee भी भुगतान Assessment के पश्चात ही बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

4. प्रशिक्षणार्थियों के परीक्षा हेतु Assessment Fee 800/- प्रतिकूल देना अनिवार्य है। Assessment Fee will be increase or decrease according to SDIS Guidelines.

अनुसूचक - 228 नामों की सूची।

विशालसागर,

(रवीन्द्र प्रसाद सिंह)
रम अधीक्षक,
सरायकेला-खरसाई।

समांक - 1304

सरायकेला, दिनांक - 20/11/2015

प्रतिलिपि - रम अनासुक्त, रामवीरपुर/सचिव, प्रारणमक भवन एवं अन्य जलियांग
सर्वकार कल्याण बोर्ड, रेंडी को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई अनुरोधित। कृपया इसकी प्राप्ति स्वीकार करने
की महती कृपा की जाय।

रम अधीक्षक,
सरायकेला-खरसाई।

पत्रांक = 1304

झारखण्ड सरकार

श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
श्रम आविष्कार का कार्यालय, सहायकेला खरसायी।

प्रेषक

श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह
श्रम आविष्कार
सहायकेला खरसायी।

प्रेषा में

Director,
Jharkhand Samudayik Ushah Parishad, Dumka
C/o Advance Techno Management
Sonari, Jamshedpur.

सहायकेला दिनांक :- 20-11-2015

विषय :-

झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्वाचित श्रमिकों/श्रमिकों के चयनों को "रोजगार प्रशिक्षण योजना" के तहत प्रशिक्षण देने के संबंध में।

संशोधन

उपरोक्त विषयक कहना है कि जिला अन्तर्गत झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्वाचित श्रमिकों/श्रमिकों के चयनों के द्वारा "रोजगार प्रशिक्षण योजना" के तहत प्रशिक्षण हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं जिन्हें निम्न Trade/Module में निम्नानुसार सहायकेला सुयोग्य प्रशिक्षकों के माध्यम से श्रमिकों को प्रशिक्षण देने हेतु अग्रसर कार्रवाई करने का कष्ट किया जाय।

Sl.No.	COURSES/MODULE	DURATION OF TRAINING (HRS)	TRAINING COST AS PER GUIDELINES	ASSESSMENT COST PER CANDIDATES	10% additional expenditure for module run in LWE affected District
1	2	3	4	5	6
1.	Repair and maintenance of Domestic Electronics Appliances.	520	RS. 27.50 PER HOUR PER TRAINEE	850/-	Yes
2.	Electrical Domestic	700	RS. 27.50 PER HOUR PER TRAINEE	800/-	Yes
3.	Hand Embroider.	620	RS. 27.50 PER HOUR PER TRAINEE	300/-	Yes
4.	Beauty Therapist & Hair Style.	600	RS. 27.50 PER HOUR PER TRAINEE	800/-	Yes

1. प्रशिक्षणार्थियों को कम-से-कम 4 घंटा प्रतिदिन प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा। तत्पर्यन्त ही 100/- प्रतिदिन प्रति छात्र भोजनदि की व्यवस्था इसके द्वारा करना होगा। भोजन तथा का किराने प्रस्ताव करके से पर्याप्त ही राशि का भुगतान किया जायेगा।
2. यह सुनिश्चित किया जावेगा कि रोजगार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत चलाये गये सभी प्रशिक्षण NSRF Compliant हों।
3. Skill Development Initiative Schemo (SDIS) के निर्देशानुसार Assessment कल्याण होगा। Assessment Fee बोर्ड द्वारा वहन किया जायेगा। Training Fee का भुगतान Assessment के उपरान्त ही बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

श्रम आविष्कार